

प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 01.08.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता नरसिंह पुत्र कोईल निवासी कटया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 पवन कुमार यादव ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 69 वाहनों से 57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 69 वाहनों से 57,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 635/2025 धारा 137(2), 87, 115(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता कुनाल उर्फ आदित्य पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू निवासी चन्दरहर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मेहदावल बाइपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 14.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 01.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 बलराम यादव ।